☎ : (कार्या.) 221900, (निवास) 222622
फेक्स : 07582 - 222070, 224543
E-mail : dmsagar@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर (म.प्र.)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTT. MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

क्रमांक 108..../स्टेनो/2020 सागर, दिनांक 09–04–2020

आदेश

अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश क्रमांक 2846/री.जि. दण्डा./2020 दिनांक 21–03–2020 एवं म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं । केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार, गृह मामलों के मंत्रालय के द्वारा अपने आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 24–03–2020 के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6(2)(i) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1–29/2020–PP (Pt.II) दिनांक 24–03–2020 से दिये गये निर्देशों के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10(2)(1) के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी करते हुए दिनांक 25–03–2020 से 21 दिवस की अवधि के लिए उक्त दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसरण में संपूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमा में आदेश क्रमांक 74/री.जि.दण्डा/2020 दिनांक 25–03–2020 से 21 दिवस की अवधि के लिए (दिनांक 14–04–2020 तक) संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है । उक्त लॉकडाउन आदेश में कतिपय अपवाद अथवा प्रतिबंधों में शिथिलता भी उल्लेखित की गई हैं ।

चूंकि विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त जानकारी के अनुसार सागर जिले के अनेक सीमावर्ती जिलों में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के पॉजिटिव प्रकरण प्राप्त हुए है, अतः उक्त संक्रमण के सामुदायिक प्रसार की आशंका को निर्मूल करने की दृष्टि से मैं, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सागर एतदद्वारा द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण सागर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में दिनांक 10–04–2020 को प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 13–04–2020 को प्रातः 6.00 बजे तक **टोटल लॉकडाउन** घोषित करते हुए पूववर्ती आदेश में उल्लेखित लॉकडाउन के अपवादो तथा प्रतिबंधों में शिथिलता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करती हूँ । टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा दो पहिया/चार पहिया वाहन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी ।

इस **टोटल लॉकडाउन** आदेश में केवल निम्नानुसार छूट रहेगी :—

1— दूध की घर–घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी ।

2— दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल खुले रहेगें ।

3— रसोई गैस (LPG) की एजेंसियां खुली रहेगी तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर–घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी ।

4— समस्त पैट्रोल पंप खुले रहेंगे ।

5— अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरीय निकाय, पंचायत, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल, इंटरनेट, डाक तार विभाग, कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, एटीएम इत्यादि उससे मुक्त रहेंगे।

6— प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं न्यूज पेपर हॉकर इससे मुक्त रहेंगे ।

COLLECTOR SAGAR

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

6– प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं न्यूज पेपर हॉकर इससे मुक्त रहेंगे ।

7– मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयों, एटीएम कैश, एलपीजी गैस सिलेंडर, पैट्रोल–डीजल का परिवहन करने वाहनों का प्रवेश एवं निकास जारी रहेंगा ।

चूंकि यह आदेश आम जनता को संबोधित हैं तथा वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिशः सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जावे, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश दिनांक 10–04–2020 को प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 13–04–2020 को प्रातः 6.00 बजे तक लागू रहेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 09–04–2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(प्रीति मैथिल–नायक)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सागर (म0प्र0)

COLLECTOR SAGAR

पृ0 क्रमांक 108 /स्टेनो /2020 सागर, दिनांक 09–04–2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. कमिश्नर सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर की ओर सूचनार्थ ।
5. पुलिस अधीक्षक सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अपर जिला दण्डाधिकारी सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम जिला सागर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त जिला अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. स्टेनो टू–कलेक्टर सागर की ओर सूचनार्थ ।
12. उप संचालक/सहायक संचालक जनसंपर्क जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सागर–(म0प्र0)

COLLECTOR SAGAR

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner